न्यायालय न्याय निर्णयन अधिकारी एवं अपर जिला मजिस्ट्रेट, बाड़मेर

पीठासीन अधिकारी : राजेन्द्र सिंह चांदावत, आर0ए0एस0

खाद्य सुरक्षा परिवाद सं. 12 / 2024

प्रार्थी –
राजस्थान सरकार जरिये खाद्य सुरक्षा अधिकारी बाड़मेर

बनाम

अप्रार्थीगण –

1. पुरषोतम दास खटीक पुत्र भंवरलाल जाति खटीक निवासी खटीको का वास, गुडामालानी (मैसर्स पुरषोतम एण्ड क. सदर बाजार, गुडामालानी जिला बाडमेर का विक्रेता एवं मालिक)
2. मदन लाल जैन पुत्र बाबूलाल जैन जाति जैन निवासी रेन बसेरा के पीछे, बाडमेर (मैसर्स कृतिका ट्रेडर्स, किर्ती मोटर के पास, बाडमेर का मालिक)
3. कल्पेश महेशभाई पांचीवाला, निवासी जोगकृपा सोसायटी, डीसा (मैसर्स श्री सोईनाथ ट्रेडिंग क. नियर मोदी समाज वादी, पंचालवास, डीसा का मालिक)
4. अशोक भाई कोलीदास भाई भारतीया, निवासी सी–904, वैष्णोदेवी स्काई, वैष्णोदेवी रोड, जहानगिरापुरा, वांकला रेंडर, सुरत (मैसर्स श्री वीर मिल्क प्रोडेक्टस, 108 / 124, हनी इण्डिया मासमा, ऑल्पड, सुरत का प्रोप्राईटर)

परिवाद अन्तर्गत धारा 26(2)(ii) सहपठित धारा 51 खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006

उपस्थिति :–

1. अभियोजन अधिकारी प्रार्थी की ओर से उपस्थित।
2. अप्रार्थीगण बावजूद सूचना अनुपस्थित।

आदेश

दिनांक : 04.09.2024

1. प्रार्थी की ओर से यह परिवाद [illegible] द्वारा धारा 26 की उप धारा (2)(ii) के उल्लंघन के फलस्वरूप धारा [illegible] रक्षा और मानक अधिनियम 2006 के अन्तर्गत अप्रार्थीगण के विरुद्ध [illegible] खाद्य सुरक्षा अधिकारी बाड़मेर द्वारा प्रस्तुत परिवाद के संक्षिप्त [illegible] **मैसर्स** [illegible] **एण्ड क. सदर बाजार, गुडामालानी** [illegible] निरीक्षण दिनांक [illegible]2023 को अलग–अलग पैकिंग में भरा हुआ विक्रय हेतु रखा गया खाद्य पदार्थ **घी ब्राण्ड शुभ टीन**

Signature Not Verified
Digitally signed by Rajendra Singh Chandawat
Date: 2024.12.06 16:10:35 IST
Reason: SelfAttested

न्याय निर्णयन अधिकारी एव
अपर जिला मजिस्ट्रेट बाड़मेर

में भरा हुआ पाया, को मिलावट का होने के शक पर नियमानुसार 800 एमएल **घी ब्राण्ड शुभ** वास्ते नमूना क्रय किया जाकर नमूना संख्या **पी–2214** अंकित कर इसकी जांच खाद्य सुरक्षा और मानक अधिनियम, 2006 के तहत कराये जाने हेतु प्रपत्र–5(ए) भरकर अप्रार्थीगण एवं गवाह व विक्रेता के हस्ताक्षर करवाये गये। उक्त खाद्य पदार्थ **घी ब्राण्ड शुभ** का नमूना वास्ते जांच खाद्य विश्लेषक, खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्रयोगशाला जोधपुर को भिजवाया गया। खाद्य विश्लेषक, खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्रयोगशाला जोधपुर द्वारा उक्त खाद्य पदार्थ **घी ब्राण्ड शुभ** का नमूना **substandard as it is not derived exclusively from milk or products obtained from milk as it contains foreign fat and Contravenes Regulation No. 2.3.7(2)** पाये जाने पर अप्रार्थी को जरिये नोटिस सूचना दी गई, जिस पर अप्रार्थी द्वारा कोई जवाब प्रस्तुत नहीं किया। इस पर प्रार्थी खाद्य सुरक्षा अधिकारी बाड़मेर द्वारा यह परिवाद प्रस्तुत कर अप्रार्थीगण को खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 की धारा 26 की उप धारा (2)(ii) का उल्लंघन करने के लिए अधिनियम की धारा 58 के तहत जुर्माना से दण्डित करने का निवेदन किया है।

2. अप्रार्थीगण को जरिये रजिस्टर्ड नोटिस तलब किया गया। अप्रार्थीगण बावजूद सूचना अनुपस्थित।

3. प्रार्थी की ओर से प्रस्तुत परिवाद का अवलोकन किया एवं पत्रावली में प्रस्तुत दस्तावेजों का अवलोकन किया गया। अप्रार्थी द्वारा कारित अपराध खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 के अन्तर्गत जुर्माना से दण्डनीय है तथा खाद्य पदार्थों से सम्बन्धित सुरक्षा मानकों के प्रति उदासीनता मानव स्वास्थ्य के प्रति गम्भीर अपराध की श्रेणी में माना गया है। अप्रार्थी के प्रतिष्ठान से लिये गये खाद्य पदार्थ के नमूना की खाद्य विश्लेषक, खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्रयोगशाला जोधपुर से प्राप्त नमूना जांच रिपोर्ट दिनांक **16.08.2023** की प्रति जरिये नोटिस सूचित किये जाने पर उसके द्वारा उस पर कोई असहमति प्रकट नहीं की गई है। प्रकरण में इस न्यायालय के समक्ष अप्रार्थीगण अनुपस्थित। इससे जाहिर है कि अप्रार्थी के प्रतिष्ठान से खाद्य पदार्थ का लिया गया नमूना **substandard as it is not derived exclusively from milk or products obtained from milk as it contains foreign fat and Contravenes Regulation No. 2.3.7(2)** पाये जाने के तथ्य का कोई जवाब नहीं है। ऐसे में अप्रार्थी द्वारा कोई ठोस एवं तथ्यात्मक जवाब/प्रतिरक्षण प्रस्तुत नहीं करना उनकी मौन स्वीकारोक्ति है। लिहाजा अप्रार्थी के विरूद्ध खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 की धारा 26 की उप धारा (2)(ii) का उल्लंघन करने के लिए अधिनियम की धारा 51 के तहत जुर्म प्रमाणित हैं।

4. अतः उपर्युक्त तथ्यों एवं परिस्थितियों पर विवेचन उपरांत अप्रार्थी के विरूद्ध अपराध धारा 58 खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 [illegible] होने से अप्रार्थी संख्या 01 पर **रूपये 75,000/–**, अप्रार्थी संख्या 02 पर रूपये 75,0[illegible]/– अप्रार्थी संख्या 03 पर **रूपये 1,50,000/– तथा** अप्रार्थी [illegible] पर रूपये [illegible]50,000/– का जुर्माना अधिरोपित किया जाता है। अप्रार्थी उक्त जुर्माना राशि का बैंक डिमाण्ड ड्राफ्ट मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी बाड़मेर के नाम पेश करें, जो पेश होने पर सम्बन्धित अधिकारी को

Signature Not Verified
Digitally signed by Rajendra Singh Chandawat
Date: 2024.12.06 16:10:35 IST
Reason: SelfAttested

न्याय निर्णयन अधिकारी एवं अपर जिला मजिस्ट्रेट बाड़मेर (राज.)

न्याय निर्णयन अधिकारी एव
अपर जिला मजिस्ट्रेट बाडमेर

राजकोष मे जमा करवाने हेतु भिजवाया जावें। पत्रावली निर्णय शुमार होकर दाखिल दफ्तर हों।

5. आदेश आज दिनांक 04.09.2024 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(राजेन्द्र सिंह चांदावत)
न्याय निर्णयन अधिकारी एवं
अपर जिला मजिस्ट्रेट, बाड़मेर

Signature Not Verified

Digitally signed by Rajendra Singh Chandawat
Date: 2024.12.06 16:10:35 IST
Reason: SelfAttested